

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल मय जज</p>
<p>19/3/20</p>	<p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/ दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 21/04/20 को पेश हों।</p>
<p>21/04/20</p>	<p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/ दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से कोरोना लॉकडाउन ह.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 18/5/20 को पेश हों।</p>
<p>18/5/20</p>	<p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/ दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से कोरोना लॉकडाउन ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 20/7/20 को पेश हों।</p>
<p>20/07/20</p>	<p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/ दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से कोरोना लॉकडाउन ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 26/08/20 को पेश हों।</p>
<p>22/07/20</p>	<p>वादी मय अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित दौर पर पक्षावली की नियत दिनांक 26.08.2020 में तलब किये हुए विवेक किया। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण दावा पिड़ो कर लिया गया है। मूल वाद के खासिय ये बात के फलस्वरूप वादी के प्रार्थना पत्र अस्पष्ट विवेचना की यत्न का कोई अर्थ नहीं कही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्पष्ट विवेचना की खासिय किया जाता है।</p> <p>पुकरण फैसल नुमार दौर नुम्बर से कम हो तथा बाह नकलित मूल वाद के संलग्न हो पुनरुच्यः प्रतिवादी ने No objection जाहिर किया।</p> <p>सहायक कलेक्टर दौसा (जि. दौसा)</p>



6. जज
[Signature]